छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11.03.15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य भासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना :–

1 योजना का प्रावधांन :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना ।

1.2 योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों सफाई कर्मकारों को समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग (CSSDA) द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवार को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

1.3 योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

1.4 परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (समस्त संतान)

1.5 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 **योजना का स्वरूप** –

2.1 पंजीकृत सफाई कर्मकार के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण।

2.2 पंजीकृत सफाई कर्मकार के परिवार के सदस्यों को उनके योग्यता एवं सूची अनुसार प्रशिक्षण दिया जावेगा।

2.3 सफाई कर्मकार यदि स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करते है,तो मंडल द्वारा श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रतिदिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा।

3 योजना हेतु पात्रता :–

3.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सफाई कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

3.2 यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

3.3 योजना हेतु आयु सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए।

4 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

4.1 आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

4.2 आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

4.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

5 लाभ प्रदाय करने की प्रकिया –

5.1 संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदकों को सी.एस.एस.डी.ए.द्वारा पंजीकृत व्ही.टी.पी. के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय करवायेगा ।

5.2 पंजीकृत व्ही.टी.पी. को शासन द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करेगा ।

5.3 प्रशिक्षण परिणाम उपरांत आवेदकों को मानदेय उनकी उपस्थिति के आधार पर उनके खाते में राशि जमा किया जावेगा ।

6 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

10/3/15

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11.03.15 (3)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.......... (छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/3/15

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा।

1.2 परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत सफाई कर्मकारों की ऐसी समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं मे से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो।

1.3 प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी–

क्र0	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
i	कक्षा 1 से 5 तक	1,000	1,500
ii	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	1,500	2,000
iii	9 वीं से 12 वीं	2,000	3,000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	बी0ए0/बी0एस0सी0/ बी0कॉम/ डिप्लोमा आदि		

(5)

v	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0/स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि	7,000	8,000
vi	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	10,000	11,000
vii	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी0एच0डी0 या भोध कार्य करने पर	14,000	15,000

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

2.2 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

2.3 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

योजना के अंतर्गत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य से सत्यापन कर प्रस्तुत करेगा।

4 भुगतान की प्रकिया :–

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र छात्रों के उनके स्वयं के खाते में अथवा उनके माता–पिता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित् किया जावेगा।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार

10/3/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, [illegible]
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक......11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना" होगा।

1.2 कक्षा 10 वीं एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इजीनियरिंग, चिकित्सा, सी0ए0 एवं एम0बी0ए0 अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्री को लाभ की पात्रता होगी।

2.2 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक विभाग/संस्था के योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो विभागों/संस्थानों के योजनाओं का एक साथ लाभ नही उठा सकता है।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

योजना के अंतर्गत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 **स्वीकृति का अधिकार :–**

पात्रता की जांच उपरांत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

5 **भुगतान की प्रकिया :–**

जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा छात्र–छात्रा के स्वयं के खाते में अथवा उनके माता–पिता के खाते में राशि जमा किया जावेगा।

6 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16
नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी............... ....(छ0ग0)
9. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां दिभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(11)

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक.......................

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना" होगा।

1.2 पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रूपये 2,000/– तक चिकित्सा सहायता दवाई कय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी।

1.3 उक्त भुगतान शासकीय चिकित्सालय/औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित देयक पर (ऐसे देयक उन्ही दवाओं के लिए होंगे जो शासकीय चिकित्सालय/औषधालय में उपलब्ध नहीं हो) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा अधिकृत समस्त चिकित्सालयों के देयको पर सफाई कर्मकारों के बाह्य रोगी चिकित्सा के तहत् स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भुगतान किया जावेगा।

1.4 परिवार के सदस्य से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र–पुत्री (पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो एवं अविवाहित पुत्री) ।

1.5 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 **योजना हेतु पात्रता :–**

2.1 18 से 60 वर्ष के सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति, पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना का लाभ दो संतान तक ही मिलेगा।

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 सफाई कर्मकार की चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन स्वतः द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

3.2 आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा।

4 **विसंगति का निराकरण–**

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी...............
...........(छ0ग0)

(13)

9. **उप** संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)

10. **उप** संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् **कर** लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन **उपरां**त इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक.....11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना" होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र–पुत्री (दो संतान तक) को यदि वे शाला/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् है तथा यदि उन्हे शिक्षा विभाग के सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नही हुआ है, को सायकल सहायता प्रदाय किया जावेगा।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 **योजना हेतु पात्रता :–**

2.1 यह योजना सफाई कर्मकार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो के पुत्र–पुत्री (दो संतान तक) को प्रदाय किया जावेगा।

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

3 **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–**

3.1 आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(4) योजना का लाभ प्रदाय करने की प्रकिया–
संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृति उपरांत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर अनुसार साईकिल के मूल्य का भुगतान आवेदक के खाते में जमा कराया जायेगा ।

(5) विसंगति का निराकरण–
योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

प्रतिलिपि :–

1. सचिव,मान.मुख्यमंत्रीजी,(भारसाधक मंत्री)श्रम विभाग,मंत्रालय,रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
8. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी.........(छ0ग0)
9. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....(छ0ग0)
10. उप संचालक भासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

(63)

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 15/10/2015

क्रमांक एफ 10–17/2015/16 :– छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित **सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना** के अंतर्गत पंजीकृत महिला हितग्राहियों को रूपये 7000/– तथा पुरूष श्रमिक को रूपये 3000/– पितृत्व लाभ प्रदाय किया जाता था। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 26.08.2015 में लिये गये निर्णय एवं मण्डल के अनुमोदन उपरांत योजना में आंशिक संशोधन कर पुरूष श्रमिक के पितृत्व लाभ को स्थगित करते हुये महिला श्रमिक को कुल रूपये 10,000/– प्रसूति सहायता प्रदाय किया जावेगा, जो कि आवेदिका के गर्भधारण के तीसरे माह में रूपये 5000/– एवं आठवे माह में रूपये 5000/– मण्डल द्वारा देय होगा।

14/10/15
(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 10–17/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 15/10/2015
<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, मान0मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग नया रायपुर।
3. सचिव/सह श्रमायुक्त छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।
4. कलेक्टर, जिला...(छ.ग.)
5. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी...(छ0ग0)
7. गार्ड फाईल ।

14/10/15
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

C:\Users\a\Desktop\Nortification.doc

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 11/3/15

क्रमांक एफ 10–2/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार विवाह योजना :–

1 योजना का प्रावधान :–

1.1 योजना का नाम सफाई कर्मकार विवाह योजना होगा।

1.2 योजना के अंतर्गत रूपये 15,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2 योजना हेतु पात्रता :–

2.1 यह योजना महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा सफाई कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

3 योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा।

3.2 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा सफाई कर्मकार की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए।

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन कमांक अंकित करना होगा।

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4 लाभ प्रदाय करने की प्रकिया–

आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा ।

5 विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रं. एफ 10–2/2015/16 नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, (भारसाधक मंत्री) श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

सचिव/अपर श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
आवक 1253
दिनांक 7 SEP 2015

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 02/08/2015

क्रमांक एफ 10–14/2015/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना" होगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकारों को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रन हेतु रूपये 700/– (सात सौ रूपये मात्र) प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।

(iii) सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा।

(iv) यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत सफाई कर्मकार को योजना का लाभ प्रदान किया जावेगा।

(ii) राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हितग्राही को इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(iii) 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजनातंर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

(i) आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

(ii) आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(द) भुगतान की प्रक्रिया

संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पा हितग्राहियों को चेक अथवा उनके बैंक खाते में आरटीजीएस द्वा भुगतान किया जावेगा।

(ई) विसंगति का निराकरण–

योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचि छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्ण अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 10–14/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 02/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं पदेन अध्यक्ष, छ.ग असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
5. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
6. कलेक्टर, जिला...(छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी.......रायपुर.......... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरात इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग